रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 26, 2005/श्रावण 4, 1927
No. 204] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 26, 2005/SRAVANA 4, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2005

अंतिम जांच परिणाम
(मध्यावधि समीक्षा)

विषय : अमरीका और कनाडा के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन सी के आयातों के संबंध में पाटनरोधी (मध्यावधि समीक्षा) जांच।

सं. 15/24/2004-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अंतर्गत :

क. प्रक्रिया

1. नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया है :

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 10.07.2003 की अधिसूचना सं. 14/25/2002-डीजीएडी द्वारा अंतिम जांच परिणामों को अधिसूचित किया जिनमें अमरीका और कनाडा के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन सी के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी ।

(ii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (यथासंशोधित) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार प्राधिकारी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लगातार जारी रखने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा करना अपेक्षित है । मै. बजाज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन्स प्रा. लि., मै. बायोकेम इंटरनेशनल प्रा. लि. और मै. एंग्लो-फ्रेंच ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लि. ने परिवर्तित परिस्थितियों के कारण दिनांक 10 जुलाई, 2003 की अधिसूचना सं. 14/25/2002-डीजीएडी द्वारा प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश की समीक्षा करने के लिए अनुरोध किया है ।

(iii) इन अंतिम जांच परिणामों की समीक्षा करने का निर्णय लेते हुए प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (यथासंशोधित) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार अमरीका और कनाडा (जिसे एतद्पश्चात् सम्बद्ध देश कहा गया है) के विटामिन सी पर पाटनरोधी शुल्क को लगातार जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए दिनांक 17.1.2005 की अधिसूचना सं. 15/24/2004-डीजीएडी द्वारा वर्तमान जांच आरम्भ की । इस समीक्षा में दिनांक 10.7.2003 की अधिसूचना सं. 14/25/2002-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं ।

(iv) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सम्बद्ध देशों के दूतावासों, निर्यातकों, आयातकों और मूल पाटनरोधी जांच में उपलब्ध सूची के अनुसार घरेलू उद्योग को प्रारम्भिक अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे इस समीक्षा जांच के प्रारम्भ होने के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया ।

(v) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से सम्बद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

(vi) प्रारम्भिक अधिसूचना की प्रतियां व्यापक परिचालन के लिए फिक्की, सी आई आई और एसोचेम को भी भेजी गईं ।

(vii) प्राधिकारी ने जांच के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अगोपनीय अंशों वाली सार्वजनिक फाइल सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई ।

(viii) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 10 मई, 2005 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया ।

(ix) उपरोक्त नियम 16 के अनुसार इन जांच परिणामों के लिए विचारित अनिवार्य तथ्यों/आधार को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के लिए 21 जून, 2005 को प्रकट किया गया और हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों को अंतिम जांच परिणामों में शामिल किया गया है ।

(X) पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए 1 अक्तूबर, 2003 से 30 सितम्बर, 2004 (12 महीने) की जांच की अवधि (पी ओ आई) के लिए जांच की गई थी । तथापि, क्षति विश्लेषण के लिए वर्ष 2000-01 से 2003-04 और जांच की अवधि के लिए सूचना मांगी गई थी ।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

2. **हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-**

मै0 अम्बालाल साराभाई इंटरप्राइजेज

(क) पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण अमरीका और कनाडा से आयात कम हुए हैं ।

(ख) पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति को उचित ठहराने के लिए परिस्थितियाँ पर्याप्त रूप से परिवर्तित नहीं हुई हैं । शुल्क लगाने से उद्योग धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में लौट रहा है तथापि देशी मांग को पूरा करने के साथ-साथ निर्यात के लिए देश में विटामिन सी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने में कम से कम दो- तीन वर्ष और लगेंगे । उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए नए निवेश की आवश्यकता होगी । इसी बीच शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है ।

(ग) अमरीका और कनाडा दोनों के पास विटामिन सी के उत्पादन के लिए काफी क्षमता है और अच्छी तकनीक के साथ उनके उत्पादन की लागत बहुत कम है । दोनों देशों में कोई कीमत नियंत्रण नहीं है और विटामिन सी को एक सम्पूरक माना जाता है और भारत की तरह एक औषधि नहीं । अतः एक बार शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो दोनों देश पाटन करना आरम्भ कर देंगे ।

(घ) कनाडा से कोई आयात नहीं हुए हैं जबकि अमरीका से आयात जांच अवधि के दौरान 43 मी. टन के हुए थे ।

(ङ) ए एस ई द्वारा उपयोग की जा रही प्रक्रिया पुरानी नहीं है जैसा कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लेख किया गया है और विटामिन सी की सख्त क्वालिटी अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों को पूरा कर रही है अन्यथा बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उनसे खरीद नहीं कर रही होतीं ।

मै0 अमोली आर्गेनिक प्रा. लि.

(क) विटामिन सी के विनिर्माताओं की संयुक्त क्षमता देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता रखती है । अतः आवेदक द्वारा दिया गया वक्तव्य कि देशी विनिर्माता बाजार मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है, पूरी तरह गलत और आधारहीन है ।

(ख) घरेलू उद्योग मध्यवर्तियों अर्थात् 2 केटो एल-ग्यूलोनिक एसिड से विटामिन सी का विनिर्माण कर रहा है जिससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि कैसे और किस मार्ग से घरेलू उद्योग विटामिन सी का उत्पादन कर रहा है ।

मै0 न्यू एस केम सर्च लि.

(क) वर्तमान में भारत के पास अपनी देशी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विटामिन सी का विनिर्माण करने के लिए पर्याप्त क्षमता है ।

(ख) विटामिन सी के विनिर्माण में लगी भारतीय औद्योगिक इकाइयों को अमरीका, कनाडा जैसे बाहरी देशों के कम कीमत के आयात से काफी खतरा है । अभी तक विटामिन सी विनिर्माता इकाइयों के जीवित होने का एकमात्र कारण यह तथ्य है कि विटामिन सी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगा हुआ है । यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता है अथवा कम कर दिया जाता है तो इससे देशी उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जिससे इकाइयाँ बंद करने को बढ़ावा मिलेगा ।

(ग) अन्य देशों में उपलब्ध कम लागत विनिर्माण सुविधाएं, सब्सिडी और साथ ही निर्यात संवर्धन स्कीमों जैसे लाभ हमारा उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन बना रहे हैं ।

बजाज हेल्थ एवं न्यूट्रिशन प्रा. लि.

(क) विटामिन सी की वर्तमान आयात कीमत स्थानीय विनिर्माताओं की बिक्री कीमत से काफी अधिक है । विटामिन सी पर पाटनरोधी शुल्क के बावजूद एकमात्र याचिकाकर्ता मै0 अम्बालाल साराभाई इंटरप्राइजेज अभी भी हानि उठा रहे हैं और यह कंपनी की अपर्याप्त वित्तीय सुदृढ़ता के कारण है, जो पुरानी विनिर्माण प्रक्रिया और संयंत्र से और बढ़ जाती है ।

(ख) नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी द्वारा प्रकाशित उत्पादन आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2003-04 में स्थानीय विनिर्माताओं के उत्पादन आंकड़े 492.89 मी. टन हैं अर्थात् देश की वास्तविक मांग के केवल लगभग 30% । यही कारण है कि अभी भी आयात हो रहे हैं ।

(ग) स्थानीय विनिर्माता विटामिन सी के उत्पादन के लिए मुख्य मध्यवर्ती अर्थात् 2-केटो एल-ग्यूलोनिक एसिड के आयात के लिए चीन पर निर्भर है अतः ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे घरेलू उद्योग उन अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माताओं से कभी प्रतिस्पर्द्धा कर सके जो नवीनतम विनिर्माण प्रक्रियाओं और आधुनिकतम विनिर्माण संयंत्रों से विटामिन सी का विनिर्माण कर रहे हैं ।

(घ) सार्वजनिक सुनवाई में मै0 अमोली ऑर्गेनिक प्रा. लि. उपस्थित थे । पाटनरोधी जांच की शुरूआत के समय वे भागीदारी नहीं कर रहे थे इसलिए उन्हें नया आवेदन दायर करना चाहिए ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

3. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की और पाया कि पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध तथा पाटन एवं क्षति के खतरे के संबंध में किए गए दावों के समर्थन के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसलिए प्राधिकारी ने पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंधों की जांच करते समय केवल दावों पर विचार नहीं किया है ।

ख. विचाराधीन उत्पाद

4. मूल जांच तथा वर्तमान समीक्षा में शामिल उत्पाद विटामिन सी है जो यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के **अध्याय 29** और सीमाशुल्क उप शीर्ष सं. 2936.27 के अंतर्गत आता है ।

ग. समान वस्तु

5. भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित विटामिन सी भौतिक एवं रासायनिक गुणावगुणों, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत

निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे गुणावगुणों के रूप में समान है । वे दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । उपभोक्ताओं द्वारा एक-दूसरे के स्थान पर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विटामिन- सी का प्रयोग किया जाता रहा है और किया जा रहा है । नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर मूल जांच में और वर्तमान समीक्षा में भी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है ।

घ. घरेलू उद्योग

6. मूल जांच में घरेलू उद्योग की ओर से मै0 अम्बा लाला साराभाई इंटरप्राइजेज लि. द्वारा पाटनरोधी जांच के लिए आवेदन दायर किया गया था । आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु के प्रमुख उत्पादक थे और पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत आवेदन दायर करने की अपेक्षा को पूरा करते थे । इस मध्यावधि पाटनरोधी जांच समीक्षा में मै0 अम्बा लाल साराभाई इण्टरप्राइजेज लि.; मै0 अमोली ऑर्गेनिक्स प्रा. लि. तथा न्यू एस. केम सर्च लि. ने घरेलू उद्योग के रूप में उत्तर दिया है और पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा में सूचना/प्रस्तुतीकरण दायर किए हैं । मै0 बजाज हैल्थ एवं न्यूट्रिशन प्रा. लि. ने तर्क दिया है कि मै0 अमोली ऑर्गेनिक्स लि. ने पाटनरोधी जांच की शुरूआत के समय भागीदारी नहीं की थी इसलिए उन्हें नया आवेदन दायर करना चाहिए ।

7. प्राधिकारी ने मुद्दे की जांच की है और वे नोट करते हैं कि जांच की शुरूआत के समय प्राधिकारी यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आवेदक को आवेदन दायर करने का अधिकार है, नियम 5(3) के तहत " स्थिति " के मुद्दे की जांच करते हैं, तथापि इससे आवेदक को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक तथा समर्थक घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निर्धारण हेतु जांच में भाग लेने से प्रतिबाधित नहीं होता है । पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए नियम 23 के अंतर्गत समीक्षा शुरू की गई है तथापि इस नियम में घरेलू उद्योग की " स्थिति " का निर्धारण अपेक्षित नहीं है । इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध वस्तु का कोई भी उत्पादक जो समीक्षा जांच में भाग लेना चाहता है, उसे केवल इस आधार पर कि भागीदार मूल जांच के समय भागीदारी नहीं कर रहा था या उस समय घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं था, जांच से बाहर नहीं रखा जा सकता है ।

ङ. पाटन मार्जिन के परिकलन हेतु प्रणाली

8. अनुच्छेद 9क(1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के ज्ञात निर्यातकों (मूल जांच में याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए) को प्रश्नावली भेजी । किसी भी निर्यातक ने जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सूचना नहीं भेजी ।

9. न तो घरेलू उद्योग और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने सामान्य मूल्य के संबंध में कोई अनुरोध किया । सार्वजनिक सुनवाई में भी किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया ।

10. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों (मूल जांच में याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए) को भी आयातक प्रश्नावली भेजी । मै0 बजाज हैल्थ एंड न्यूट्रिशंस प्रा. लि. और मै0 ऐंग्लो-फ्रेंच ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लि. ने सूचना/अनुरोध दायर किए । तथापि, दोनों में से किसी भी आयातक ने निर्धारित प्रपत्र पर आंकड़े/सूचना प्रस्तुत नहीं की और उन्होंने पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध के बारे में भी सूचना प्रस्तुत नहीं की है ।

11. घरेलू उद्योग ने उन्हें भेजे गए आवेदन प्रपत्र में कोई आवेदन दायर नहीं किया है । चूँकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क की वर्तमान मध्यावधि समीक्षा में सामान्य मूल्य और उसके परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं कर सके ।

च. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

12. आवेदकों ने तर्क दिया है कि मुख्य रूप से उत्पादन में अकुशलता, प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय बाधाओं आदि के कारण देशी विनिर्माता बाजार माँग को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं । इसके अतिरिक्त उन्होंने तर्क दिया है कि विटामिन सी के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री अर्थात् 2 केटो ग्यूलोनिक एसिड की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में परिवर्तन के कारण रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के एन पी पी ए द्वारा विटामिन सी की कीमत में परिवर्तन किया गया है । अतः प्राधिकारी के पूर्ववर्ती जांच परिणाम जिन बुनियादी मापदण्डों पर आधारित थे, उनमें परिवर्तन हो जाने के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पुनर्निर्धारण अपेक्षित है ।

13. हितबद्ध पक्षकारों से किसी उत्तर की अनुपस्थिति में प्राधिकारी द्वारा यह जाँच नहीं की जा सकी कि क्या संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है अथवा उसके होने की संभावना है । प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारक कीमत का निर्धारण नहीं किया जा सका और साथ ही घरेलू उद्योग से आंकड़ों के अभाव में जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों के कारण किसी क्षति का निर्धारण भी नहीं किया जा सका ।

छ. अंतिम जांच परिणाम

14. उपर्युक्त परिस्थितियों में प्राधिकारी का निष्कर्ष यह है कि हितबद्ध पक्षकारों से उचित उत्तर की अनुपस्थिति में पाटन, आर्थिक क्षति और इन दोनों के बीच कारणात्मक संबंध जैसे महत्वपूर्ण मापदण्डों को निर्धारित नहीं किया जा सका । अतः प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा पुनः प्रारंभ होने की संभावना नहीं है ।

15. (क) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी दिनांक 10.07.2003 की अधिसूचना सं. 14/25/2002-डीजीएडी द्वारा पूर्व में सिफारिश किए गए और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (यथासंशोधित) के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत

विटामिन सी के सभी आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी न रखने की सिफारिश करने को उचित मानते हैं ।

(ख) इस आदेश के विरूद्ध किसी अपील को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (यथासंशोधित) के अनुसार सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय निकाय (सेस्टेट) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

डा. क्रिस्टी फेर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2005

FINAL FINDINGS

(Mid-term Review)

Subject : Anti-Dumping (Mid-Term Review) investigations concerning imports of Vitamin C originating in or exported from USA and Canada.

No. 15/24/2004-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended (herein referred to as AD Rules) thereof :

A PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed:

i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) notified final findings vide Notification No.14/25/2002-DGAD dated 10.7.2003 recommending imposition of anti-dumping duties on all imports of Vitamin C originating in or exported from USA and Canada.

ii) The Customs Tariff Act, 1975 (as amended) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 made thereunder require the Authority to review from time to time, the need for the continued imposition of definitive anti dumping duty imposed by the Central Government. M/s Bajaj Health & Nutritions Pvt. Ltd., M/s Biokem International Pvt. Ltd. and M/s Anglo-French Drugs & Industries Limited had requested for review of the recommendation made by the Authority vide Notification No. 14/25/2002-DGAD dated 10th July 2003 due to changed circumstances.

iii) Having decided to review these final findings, the Authority initiated the present investigations vide Notification No.15/24/2004-DGAD dated 17.1.2005 to review the need for continued imposition of anti dumping duty on Vitamin C from USA and Canada (hereinafter referred to as subject countries) in accordance with the Customs Tariff Act,1975(as amended) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995(hereinafter referred to as AD Rules). This review covers all aspects of Notification No.14/25/2002-DGAD dated 10.7.2003.

iv) The Designated Authority sent copy of the Initiation Notification to the embassies of the subject countries, the exporters, importers and the domestic industry as per the list available in the original anti-dumping investigation and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation of this review investigation

v) A request was made to the Director General Commercial Intelligence& Statistics (DGCI&S) to make available details of imports of subject goods.

vi) Copies of the initiation notification were also sent to FICCI, CII and ASSOCHAM for wider circulation.

vii) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version submitted by interested parties for inspection.

viii) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views verbally in the public hearing held on 10th May , 2005.

ix) In accordance with Rule 16 supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed on 21st June,2005 to known interested parties and comments of the interested parties made have been incorporated in the final findings.

x) Investigations were carried out for the period of investigation (POI) from 1st October 2003 to 30th September 2004 (12 months) for determination of dumping margin. However, information were called for injury analysis for the years 2000–01 to 2003–04 and the period of investigation.

Submissions made by Interested Parties

2. Submissions made by interested parties are as under:

M/s Ambalal Sarabhai Enterprises

a) The imports from USA and Canada are lower due to imposition of anti-dumping duty.

b) The conditions have not changed substantially to warrant removal of anti-dumping duty. Since the imposition of duty the industry is limping back to normal slowly however it will take at least two to three more years before Vitamin C production capacity in the country will increase to meet the indigenous demand and also for the export. These require fresh investment to increase production capacity. Meanwhile the duty is required to be continued.

c) Both USA and Canada have huge capacity for production of Vitamin C and with better technology their cost of production is very low. There is no price control in both the countries and Vitamin C is considered a supplement and not a drug like in India. Therefore, once duty is removed both countries will start dumping.
d) There is no imports from Canada whereas imports from USA were 43MT during period of investigation.
e) The process used by ASE is not outdated as stated by other interested party and stringent quality of Vitamin C is meeting international standards, otherwise MNCs will not be buying from them.

M/s Amoli Organic Pvt. Ltd.

a) Combined capacity of manufacturers of Vitamin C is having adequate capacity to meet the requirement of the country. Therefore, the statement made by applicant that the indigenous manufacturers are not able to meet market demand is totally wrong and baseless.
b) Domestic industry is manufacturing Vitamin C from intermediates i.e. 2 Keto L-Gulonic Acid cannot be basis that how and from which route domestic industry is producing Vitamin C.

M/s New S Chem Search Ltd.

a) India has at present sufficient capacity to manufacturer the Vitamin C to fulfil its indigenous requirement.
b) There is a great threat to Indian industrial units engaged in the manufacturing of Vitamin C because of low cost import of outside countries like USA, Canada. The only reason for survival of Vitamin C manufacturing units till date is the fact that there is a anti-dumping duty on imports of Vitamin C. If the anti-dumping duty is lifted or reduced this will adversely affect the indigenous industry in which may lead to closer of units.
c) Benefits like low cost manufacturing facilities, subsidy as well as export promotion schemes available in other countries are making difficult for us to compete with them.

Bajaj Health & Nutritions Pvt. Ltd.

a) The current import price of Vitamin C is much higher than the selling price of the local manufacturer's. In spite of anti-dumping duty on Vitamin C the sole petitioner M/s Ambalal Sarabhai Enterprises is still making loses and that is due to insufficient financial strength of the company, further aggravated by out-dated manufacturing process and plant.
b) The production figure published by National Pharmaceutical Pricing Authority shows that the production figure of the local manufactures in the year 2003-04 is 492.89 MT i.e. approximately only 30% of actual demand of the country. That is a reason, imports are still taking place.
c) The local manufacturers are dependent on China for import of key intermediate for production of Vitamin C i.e. 2-Keto L-Gulonic acid, therefore, there is no way that the domestic industry can ever compete with international manufacturer's who manufacture Vitamin C from the first stage with latest manufacturing processes and state-of-art manufacturing plants.

22306/05

d) In the public hearing M/s Amoli Organic Pvt. Ltd. was present. They were not participating at the time of initiation of anti-dumping investigation; therefore, they should file a fresh application.

Examination by the Authority

3. The Authority examined the submissions made by interested parties and finds that assertions made regarding dumping, injury, causal links and threat of dumping and injury, were not backed by any evidence. Therefore, the Authority has not taken into account simple assertions while examining dumping, injury and causal links.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

4. The product involved in the original investigation and the current review is Vitamin C falling under Chapter 29 and the Customs subheading no. 2936.27 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, as amended.

C. LIKE ARTICLE

5. Vitamin C produced by Indian industry and imported from subject countries are similar in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specification pricing distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the Vitamin-C produced by the domestic industry interchangeably. The subject goods produced by domestic industry have been treated as like article to the product exported from subject countries in the original investigation & this review also within the meaning of Rule 2(d).

D. DOMESTIC INDUSTRY

6. In the original investigation the application for anti dumping investigation was filed by M/s Ambalal Sarabhai Enterprise Ltd., on behalf of domestic industry. The applicant was the major producer of the subject goods in India and had the required standing to file the application under AD Rules. In this mid-term review anti-dumping investigation M/s Ambalal Sarabhai Enterprise Ltd., M/s Amoli Organics Pvt. Ltd.and New S Chem Search Ltd. have responded as domestic industry and filed the information / submissions in the mid-term review of the anti-dumping duty. M/s Bajaj Health & Nutritions Pvt. Ltd. has argued that M/s Amoli Organics Ltd. was not participating at the time of initiation of anti-dumping investigations therefore, they should file a fresh application.

7. The Authority has examined the issue and notes that, at the time of initiation of investigation the Authority examines the issue of 'Standing' under Rule 5(3), to determine whether applicant has right to file the application, however, it does not preclude any other producer other than applicant and supporter from participating in the investigation for determination of injury to the domestic industry. Under Rule 23 review is initiated to determine the need for continuance of anti-dumping duty, however, this rule does not require determination of 'standing' of the domestic industry. Therefore, the authority holds that any producer of the subject goods, who wants to participate in review investigation, cannot be excluded from investigation merely on the ground that the participant was not participating at the time of original investigation or was not part of the domestic industry at that time.

E. METHODOLOGY FOR CALCULATION OF DUMPING MARGIN

8. The Authority sent questionnaire to the known exporters (provided by the petitioner in the original investigation) of subject goods for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A (1) (c). None of the exporters responded to the Authority with information for determination of normal value to the initiation notification.

9. Neither the domestic industry nor any of the interested parties made any submission regarding the normal value. In the public hearing also none of the interested parties made any submission with regard to determination of dumping margin.

10. The Authority also sent importer's questionnaire to known importers (provided by the petitioner in the original investigation) of the subject goods. M/s Bajaj Health & Nutritions Pvt. Ltd. and M/s Anglo-French Drugs & Industries Ltd. filed information/submissions. However, none of these importers have provided data/information on the prescribed format and have also not provided information regarding dumping, injury and causal links.

11. The domestic industry did not file any response in the application pro-forma sent to them. Since none of the interested parties responded to the questionnaire, the Authority could not determine the normal value and consequently dumping margin in the present mid-term review of anti-dumping duty.

F. INJURY AND CAUSAL LINK

12. The applicants have argued that the indigenous manufacturers are not in position to meet the market demand mainly due to inefficiency in production, technology and financial constraints etc. Further they have argued that because of the change of international price of raw material for manufacturing Vitamin C i.e. 2 keto Gulonic acid, the price of Vitamin C has been changed by the NPPA of M/o Chemicals & Fertilizers, D/o Chemicals & Petrochemicals. Therefore, basic parameters on which earlier final findings of the authority were based have now changed which requires reassessment of injury to the domestic industry.

13. In absence of any response from interested parties, the Authority could not examine whether the imports of subject goods from subject countries have caused material injury to the domestic industry or likely to cause injury to domestic industry. The Authority could not determine the non-injurious price for the domestic industry and also could not determine any injury because of imports from subject countries during the period of investigation in absence of data from domestic industry.

G. FINAL FINDINGS

14. In the above circumstances, the Authority has concluded that in the absence of proper response from the interested parties, the critical parameters such as dumping, material injury and the causal relationship between the two could not be established. Hence the Authority concludes that cessation of anti-dumping duty on imports of subject goods from subject countries is not likely to lead to continuation or recurrence of injury to the domestic industry.

15.

(a) In view of the above, the Designated Authority considers it appropriate to recommend discontinuation of the anti-dumping duties recommended earlier vide Notification No. 14/25/2002-DGAD dated 10th July 2003 and imposed on all imports of Vitamin C classified under chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 (as amended) originating in or exported from subject countries.

(b) An appeal against this Order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975(as amended).

Dr. CHRISTY FERNANDEZ, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.